

16/05/2019

55

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान्य दाय्य
 वकील की ओर से वकील वादी द्वारा प्रार्थना-
 यत्र पेश कर बाद नही चलाने की मंशा
 आहिर करते हुए कार्यवाही द्रोप का निर्देश
 किया गया। वकील वादी स्वयं दाय्य वादी से
 वकील पक्षकारान्य की सुनी जाकर प्रस्तुत प्रार्थना-
 यत्र वा पत्रावली का इवलीफन किया जाकर
 मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-यत्र
 के आधार पर वादपत्र में शेष आवासी
 कार्यवाही द्रोप किया जाना व्यस्यीकित है।
 अतः 6 कार्यवाही द्रोप किये जाने हेतु वादी द्वारा
 प्रस्तुत प्रार्थना यत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र
 में शेष आवासी कार्यवाही द्रोप की जाती है।
 पत्रावली कैम्पल शुमार हेवर नंबर से फन
 की जाकर दाखिल दाय्यार है।

रामनिधन
मिठारवाल

डॉ. कि. शमशेर
#

(कुंजभूषण
द्वारा)

सहायक कलक्टर
सोभर लेक

Web Copy - Not Official